GLNA Institute of Technology
Mathura

विषय : रैगिंग पर प्रतिबन्ध के सन्दर्भ में।

आदरणीय अभिभावकगण,

आप अवगत होंगे कि संस्थान में विभिन्न कक्षाओं के लिए नया सत्र 25 जुलाई से 03 अगस्त, 2011 के मध्य से प्रारम्भ हो रहा है। इसी समयावधि में संस्थान में नये विद्यार्थी प्रवेश लेने हेतु आते रहेंगे। आप इस तथ्य से भी भली–भांति अवगत होंगे कि पूरे देश में रैगिंग की कुप्रथा है, जिसके कारण नया प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस संस्थान का प्रशासन प्रत्येक वर्ष ही इस कुप्रथा को रोकने का भरसक प्रयत्न करता है एवं सफल भी रहता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टैक्नीकल एजूकेशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रैगिंग की कुप्रथा को अत्याधिक गम्भीरता से लिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों, 2009, एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिरोध अधिनियम, 2010 द्वारा इस कुप्रथा की रोकथाम हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

1. **यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा रैगिंग किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी सूचना लिखित या मौखिक रूप से प्राप्त होती है एवं सम्बन्धित शैक्षणिक संस्था के प्रधान द्वारा यदि प्रथमदृष्टया यह सत्य पाया जाता है, तो ऐसे छात्र को संस्थान से तत्काल निष्कासित कर अभियुक्त के खिलाफ प्राप्त शिकायत को पुलिस थाने में अग्रतर कार्यवाही हेतु तत्काल भेजना अनिवार्य होगा।**
2. **सन्दर्भित अधिनियम में यह प्रावधान है कि जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रुपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा।**
3. **सन्दर्भित अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायेगा।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए किसी विद्यार्थी के विषय में रैगिंग से सम्बन्धित कोई भी शिकायत / सूचना संस्थान को प्राप्त होती है तो संस्थान–प्रशासन के पास उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार विद्यार्थी को उसी समय संस्थान से निष्कासित एवं पुलिस में रिपोर्ट करने के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

इस पत्र के साथ एक शपथ–पत्र भी संलग्न कर भेजा जा रहा हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस शपथ पत्र को ध्यान से पढ़कर, भरकर तथा अपने हस्ताक्षर कर अपने आश्रित को देने की कृपा करें, अन्यथा उसका पंजीकरण नहीं किया जायेगा।

आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे अपने आश्रित छात्र–छात्राओं को रैगिंग की गम्भीरता एवं परिणामों से अवगत करायें, जिससे संस्थान–प्रशासन को कोई अप्रिय कदम न उठाना पड़े।

विगत वर्षो में कई बार यह पाया गया है कि विद्यार्थी कैमरे वाले मोबाइल फोन का अश्लील तस्वीरें इत्यादि लेने में दुरुपयोग करते हैं, इसलिए संस्थान / हॉस्टल परिसर में संस्थान–प्रशासन के द्वारा कैमरे वाले मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। यदि संस्थान / हॉस्टल में किसी विद्यार्थी पर उक्त मोबाइल पाया जाता है तो उसको तुरन्त जब्त कर लिया जायेगा।

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उपरोक्त विषयों की गम्भीरता को समझते हुये अपने आश्रित को भली–भाँति समझायेंगे तथा ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे जिससे कि संस्थान–प्रशासन को कोई अप्रिय कदम उठाना पड़े।

आपका शुभेच्छु

प्रेमनारायण माहेश्वरी

(प्रो0 प्रेम नारायण माहेश्वरी)
निदेशक

16 Km Stone, NH-2, Mathura-Delhi Road, P.O.-Jait, Mathura – 281 402, Uttar Pradesh
Tel.: +91-250200, 250205, 250754 Fax: +91-241405, Website : www.glnait.org, E-mail : glnait@glnait.org